

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 09 मई, 2018 को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

- i. श्री रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं उपाध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- ii. श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- iii. श्री डी0वी0एस0 खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- iv. श्री गम्भीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- v. डॉ. रंजीत सिन्हा, प्रभारी सचिव, नियोजन एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- vi. श्री बी0के0 गांगटे, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत (प्रतिनिधि प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।
- vii. श्री एच0के0 सिंह, वन संरक्षक (प्रतिनिधि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।
- viii. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव-वित्त एवं सदस्य संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा)।
- ix. श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, अध्यक्ष-हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, देहरादून (शासन द्वारा नामित एन.जी.ओ.) एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- x. श्री जोगेन्द्र बिष्ट, अध्यक्ष-लोक चेतना मंच, रानीबाग, हल्द्वानी (शासन द्वारा नामित एन.जी.ओ.) एवं सदस्य-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
- xi. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा तथा सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

संचालन समिति की बैठक दिनांक 27.04.2018 को आहूत की गई थी, परन्तु समयाभाव के कारण उक्त तिथि को चर्चा पूर्ण नहीं हो पाई। तदोपरान्त उक्त तिथि को बैठक को स्थगित करते हुए पुनः दिनांक 09.05.2018 को आहूत की गई। बैठक में कोरम निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूर्ण पाई गई।

सर्वप्रथम अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि कैम्पा कोई परियोजना अथवा बाह्य सहायतित योजना नहीं है, अपितु यह भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों से अर्जित विभिन्न धनराशि के प्रबन्ध एवं उपयोग हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अंतर्गत स्थापित प्राधिकरण है, जिसके संचालन हेतु पृथक एवं विस्तृत व्यवस्था निर्धारित की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, 2016 तथा इसके अंतर्गत प्रारूप नियमावली 2018 के प्राविधानों के विषय में सदस्यगणों को अवगत कराया गया। सदस्यगणों को यह भी अवगत कराया गया कि वचनबद्ध व्ययों के अतिरिक्त निबल वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) मद के अंतर्गत मुख्य रूप से उन्हीं कार्यों को किया जा सकता है, जो स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबन्ध योजना में सम्मिलित हों।

समिति को इस प्राधिकरण के अंतर्गत विगत 3 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों से निम्नानुसार अवगत कराया गया –

- 6833 है0 क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य।
- मृदा एवं जल संरक्षण कार्य:
विभिन्न क्षमता के कुल 1451 जल निकायों /जल कुण्डों का सृजन करते हुए लगभग 3 करोड़ लीटर वर्षा जल संग्रहण की क्षमता विकसित की गई। उक्त के अतिरिक्त मृदा एवं जल संरक्षण एवं भूमिगत जल के रिचार्ज की दृष्टि से, निम्न कार्य सम्पादित किए गये –
 - 5044 चैक डैम एवं चाल-खालों का निर्माण।
 - 8213 है0 क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच का निर्माण।
 - 504 प्राकृतिक जल स्रोतों व नौला/धारा का पुनरोद्धार व उपचार।

Signature

अवस्थापना विकास –

- 92 वन रक्षक चौकियों का निर्माण।
- 940 कि.मी. प्रति वर्ष विभिन्न वन मोटर मार्गों/वन बटिया/अश्वमार्गों का सुदृढीकरण।

वन्य जीव संरक्षण –

- मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण हेतु जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा हेतु 67 कि.मी. लम्बी हाथी/सूअर रोधी दीवार का निर्माण

- मालसी, देहरादून में जू का उच्चीकरण कार्य।
*जू के निर्माण एवं रखरखाव के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान व्यवस्था अनुसार चिड़ियाघर के निर्माण एवं विस्तारीकरण का इस निधि से वित्त पोषण प्रतिबन्धित है।
- हरिद्वार, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में बंदर बंध्याकरण केन्द्रों की स्थापना एवं 1655 बंदरों का बंध्याकरण व 41977 बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा गया।
- विभिन्न वन प्रभागों में वन पंचायत क्षेत्रों में 730 हे० चारागाह विकास कार्य।
- 216 किमी (Row K.M.) पथ वृक्षारोपण का कार्य।

समिति द्वारा उपरोक्त पर संतोष व्यक्त किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति-13.1 : दिनांक 17.08.2017 को सम्पन्न हुई बारहवीं संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन:-

सदस्यगणों द्वारा दिनांक 17.08.2017 को सम्पन्न संचालन समिति की बारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं सदस्यगण कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 13.2: वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति।

13.2.1 समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017-18 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 31235.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 11182.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2018 तक ₹ 8766.05 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है। जो कि अवमुक्त धनराशि का 78.39% है।

13.2.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के गठन से अब तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आवंटित एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों का निम्नानुसार वर्षवार विवरण प्रस्तुत किया गया :-

वर्ष	वर्ष में आवंटित भौतिक लक्ष्य (हे०)	भौतिक प्राप्ति (हे०)
2011-2012	3972.52	3843.43
2012-2013	715.38	438.77
2013-2014	3080.84	2696.25
2014-2015	2078.00	2077.91
2015-2016	1432.90	1245.24
2016-2017	3155.01	2886.00
2017-2018	3226.73	3216.73

योग	17661.38	16404.33
-----	----------	----------

13.2.3 समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में दिनांक 31.03.2018 तक क्षतिपूरक वनीकरण का अवशेष बैकलॉग 6577 है0 है, जिसे दो वर्ष के अंतर्गत पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

13.2.4 अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण की उक्तानुसार प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए इस महत्वपूर्ण एवं वचनबद्ध कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार निश्चित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये।

13.2.5 समिति के समक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य वृक्षारोपण कार्यों की सफलता के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्टता तथा विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए यह उचित होगा कि दो वर्षों में पारम्परिक पद्धति के अनुसार वृक्षारोपण कार्य करने के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की प्रक्रिया अपनाई जाए जिसमें पौध रोपण के साथ-साथ भूमि एवं जल संरक्षण, दीवार बन्दी आदि कार्यों को एक साथ कराया जाए। ऐसा किए जाने से उन क्षेत्रों में हरित आवरण के पुनर्स्थापित होने में अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी। समिति ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष से यथासम्भव वृक्षारोपण हेतु यही प्रक्रिया अपनाई जाय। मुख्य सचिव/अध्यक्ष ने अपेक्षा की कि इस हेतु तकनीकी दिशा-निर्देश तत्काल वन विभाग द्वारा निर्गत किए जाएं, जिससे फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन अभिकरणों को ऐसे कार्यों को पूर्ण कराने में किसी प्रकार की शंका/कठिनाई उत्पन्न न हो।

13.2.6 मुख्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वृक्षारोपण कार्यों की नियमित समीक्षा तथा उनका निरन्तर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वन विभाग तथा अन्य बाह्य एजेन्सीज के माध्यम से कराया जाय, जिससे उनकी गुणवत्ता एवं सफलता निर्धारित मानकों के अनुरूप निरन्तर रखी जा सके। किसी स्थल पर यदि सफलता प्रतिशत निर्धारित मानकों से कम है तो उस दशा में उक्त के कारणों की समीक्षा कर तत्काल यथोचित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

कार्यसूची संचालन समिति 13.3: वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना

13.3.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यगणों के समक्ष भारत सरकार का पत्रांक-15-2(0)/2018-CAMPA दिनांक 10.04.2018 प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 31.01.2018 को भारत सरकार के पास उत्तराखण्ड राज्य की ₹2112.95 करोड़ की निधि उपलब्ध है। मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार इस धनराशि के 10 प्रतिशत तक अर्थात् ₹211.30 करोड़ की सीमा तक होगा।

13.3.2 इस क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018-19 की ₹21130.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर मदवार चर्चा की गई। इस कार्ययोजना के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं -

(क) इस वर्ष क्षतिपूरक वनीकरण मद में 3514 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य करने हेतु ₹4521.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि इस वर्ष से क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य यथासम्भव सहायतित

प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ANR) की तकनीक से कराया जाय। अतः इस वर्ष से ए0एन0आर0 के माध्यम से कार्यों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से अग्रिम मृदा कार्य मद में प्राविधानित ₹20 करोड़ की धनराशि के स्थान पर ₹5 करोड़ का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ख) मध्य हिमालयी क्षेत्रों में Food From Forests की परिकल्पना के दृष्टिगत स्थानीय जनोपयोगी व जंगली जानवरों हेतु फलदार प्रजातियों का रोपण हेतु Plantation under NPV के अंतर्गत ₹500 लाख की धनराशि का प्राविधान किए जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि फलदार प्रजातियों का रोपण हेतु क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार पौधों की प्रजातियों का चयन कर, इसका आवश्यक अध्ययन कर कलस्टर के रूप में किया जाय। इस धनराशि का समायोजन कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत कार्ययोजना के Plantation under NPV मद के अन्य उपमदों के अंतर्गत किया जाय।

(ग) नदियों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड विज्ञान एवं तकनीकी परिषद (UCoST) के सहयोग से कोसी नदी के पुनर्जीवन हेतु ₹500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित किए जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष-संचालन समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से प्रयास किए जाएं।

(घ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि प्रदेश में संचालित कैट प्लानों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹2500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। कैट प्लानों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय ने उनकी वित्तीय प्रगति को और बढ़ाने के निर्देश दिए गए जिससे इन योजनाओं का लाभ ससमय स्थानीय व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि कैट प्लान के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक कार्यों यथा-सामुदायिक विकास, आजीविका विकास, रोजगारपरक सम्बन्धी गतिविधियों इत्यादि हेतु धनराशि उपलब्ध है। इन मदों में प्राविधानित धनराशि को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई।

(ङ) उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित बुग्यालों के संरक्षण हेतु स्थानीय नागरिकों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने के उद्देश्य से कुल ₹200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया।

(च) उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा हेतु तैनात वन कर्मियों की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत पैट्रोलिंग शैल्टर के निर्माण हेतु ₹200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किए जाने हेतु निर्णय लिया गया।

(छ) वन पंचायतों के सुदृढीकरण के अंतर्गत कुल ₹1700.00 लाख की धनराशि

प्राविधानित की गई। उत्तराखण्ड राज्य में 12000 से अधिक वन पंचायत हैं, जिसमें इस योजना के अंतर्गत लगभग 720 वन पंचायतों को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय में निर्देशित किया गया कि पंचायती वनों के प्रबन्ध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में वनाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से तकनीकी सहयोग एवं समर्थन उपलब्ध कराया जाय। जिस वन पंचायत में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में कार्य सम्पादित किए जा रहे हों, कैम्पा के अंतर्गत उसके अतिरिक्त अन्य वन पंचायतों में ही कार्य सम्पादित करवाए जायें।

13.3.2 संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना घटकवार एवं मदवार निम्नानुसार अनुमोदित की गई –

क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग (लाख ₹ में)
3021.50	2500.00	14670.12	938.38	21130.00

अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 में वचनबद्ध, स्थल विशिष्ट एवं एन.पी.वी के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

Annual Plan of Operation (APO 2018-19)

(Amount in Lakh)

S. No	Head	Unit	APO 2018-19	
			Phy	Fin
COMMITTED ACTIVITIES				
A	COMPENSATORY AFFORESTATION			
1	Advance Soil Work – CA [19 Divisions]	ha	875	500
2	Plantation – CA [20 Divisions / 230 Sites]	ha	3514	1397
3	Nursery Maintenance – CA [18 Divisions]	No's	3925933	122
4	Plantation Maintenance – CA [26 Divisions]	ha	7915	770
5	Nursery Raising – CA [10 Divisions]	No's	3888699	232.5
	Total in Compensatory Afforestation			3021.5
B	CATCHMENT AREA TREATMENT PLANS			
	CAT PLAN			
1	IMPLEMENTATION OF CAT PLANS	Nos.	9	2500
	Total in C.A.T. Plan			2500
C	OTHER SPECIFIED ACTIVITIES			

	<u>Road Side Plantation</u>			
1	Advance Soil Work for Road Side Plantation [3 Divs]	ha	88	38
2	Maintenance - Road Side Plantation [12 Divs / 20 sites]	ha	578	51
3	Maintenance of Nursery for Road Side Plantation [4 Divs / 12 Sites]	Nos.	1622190	17
4	Nursery Raising for Road Side Plantation [3 Divs]	Nos.	59603	3
5	Plantation - Road Side Plantation [1 Div]	ha	11	3
	Sub-Total			112
	<u>Gapfilling Plantation</u>			
6	Advance Soil Work for Gap Filling Plantation [4 Divs]	ha	205	102
7	Maintenance - Gap Filling Plantation [9 Divs]	ha	443	46
8	Maintenance of Nursery for Gap Filling Plantation [14 Sites / 5 Divs]	Nos.	234745	8.38
9	Nursery Raising for Gap Filling Plantation [1 Divs]	Nos.	17664	1
10	Plantation - Gap Filling Plantation [2 Divs]	ha	87	12
	Sub-Total			169.38
	<u>Dwarf Species Plantation</u>			
11	Advance Soil Work for Dwarf Species Plantation [4 Divs]	ha	178	98
12	Maintenance - Dwarf Species Plantation [5 Divs]	ha	440	50
13	Maintenance of Nursery for Dwarf Species Plantation [5 Divs / 12 sites]	Nos.	192185	8
14	Nursery Raising for Dwarf Species Plantation [1 Divs]	Nos.	5000	1
	Sub-Total			157
	<u>Work against Collection of minor Minerals</u>			
15	River Training Works [Projectwise /Yearwise Detail]	No. of structures	300	500
	Sub-Total			500
	Total in Other Specified Activity			938.38
D	NET PRESENT VALUE			
	Core Activities Under Net Present Value (80%)			

Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development				
1	Boundary Pillars (New)	Nos.	<u>2318</u>	86
2	Construction of High Altitude Patrolling Shelter	Nos.	<u>18</u>	200
3	Development of SFPG at Sensitive & High Altitude areas	Nos.	<u>63</u>	55
4	Fire Arms Purchase	Nos.	<u>26</u>	26
5	Forest Fire Management [Maint of firelines , fire watchers , crew stations etc.]	-	-	1000
6	Protection of Bugyals through Local Community [Green checkdams , Removal of invasive species etc.]	ha	<u>202</u>	200
7	High Tech. Equip. for Enhancement of Enforcement [Wireless , GPS etc.]	IA's	<u>11</u>	104
8	Non-Conventional and Renewable Energy (Solar/Wind etc.)	No's	<u>371</u>	90
9	Field support equipments to facilitate front line staff [High altitude equipments , protection tools, Dress etc]	15 Divs	-	86
	Sub-Total			1847
Strengthening of Wildlife Management				
10	Anti Poaching related activities [Long / Short distance patrolling / Secret Funds / watch and ward / intelligence network etc.]	-	23 Divs	256
11	Construction of rescue / rehabilitation center* (Subject to meeting all statutory requirements)	Nos.	<u>2</u>	400
12	Creation and maintenance of drinking water holes for wild animals	Nos.	<u>226</u>	191
13	Elephant Trenches	Km.	<u>50</u>	50
14	Estimation of wildlife populations	-	11 Divs	56
15	Conservation of Aquatic Biodiversity [Sharda River]	No.	<u>1</u>	2
16	Fencing (Solar , Thorny etc)	Km	<u>8</u>	79
17	High Altitude and Long Distance Patrolling	Km.	<u>670</u>	70

18	Human Wildlife Conflict Resolution [Monkey Catching / Sterilization]	Nos.	<u>19052</u>	200
19	Habitat Improvement / Lantana Removal	ha	<u>4537</u>	375
20	Lantana Removal Maintenance	ha	<u>467</u>	19
21	Provision of food for wild animals at rescue / rehabilitation center	Nos.	<u>1</u>	10
22	Stone/Concrete walling at Critical boundaries/Elephant trenches	KM	<u>36</u>	743
23	Strengthening of wildlife conservation	Nos.	<u>5</u>	74
24	Wildlife Veterinary Care / Postmortem Expense	IA's	<u>23</u>	150
25	Urgent WL activities and emergencies etc.	-	-	200
	Sub-Total			2875
Soil And Water Conservation				
26	Contour Trenches	ha	<u>3849</u>	490
27	Creation of water bodies	Nos.	<u>695</u>	980
28	Maintenance of existing water Bodies	Nos.	<u>255</u>	132
29	Rejuvenation of Water Sources [Dhara Naula]	Nos.	<u>339</u>	310
30	River front development (catchment area treatment part only) KOSI	-	-	500
31	Check dams / Side walls /Chal Khal and others	Nos.	<u>3761</u>	844
	Sub-Total			3256
Plantation under NPV				
32	Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	ha	<u>1360</u>	680
33	Maintenance - Deodar Plantation	ha	<u>383</u>	37
34	Maintenance - Oak Plantation	ha	<u>1150</u>	91
35	Raising of wild fruit plants in middle altitude	LS	<u>LS</u>	500
	Sub-Total			1308
Forestry Research				
36	Collaborative Research	Nos.	<u>6</u>	50
37	Demonstration plots & trials of need based initiatives	Nos.	<u>47</u>	93
38	Establishment/Maintenance of Seed Plots/Orchards	Nos.	<u>4</u>	5
39	Strengthening of Research Cell & Up- gradation of laboratory	Nos.	<u>2</u>	37
40	Other Action Research [Need based]	-	-	65
	Total In Forestry Research			250

STRENGTHENING OF VAN PANCHAYATS				
41	Strategic Planning and Strengthening of Van Panchayats [Plantation , Pasture Dev. ,Trainings and Workshops etc.]	IA's	<u>31</u>	1700
	Sub-Total			1700
42	Monitoring And Evaluation	IA's	<u>2</u>	100
	OTHER			
43	Contingencies	-	-	300
	Total in Core Forestry Activities (80% of NPV)			11636
	Other Net Present Value (20%)			80%
44	Modernizing of Strategic Barrier	Nos	<u>22</u>	77
45	Renovation of Existing Building (upto range level)	Nos	<u>372</u>	316.12
46	Repair of Bridle Path/Forest Road/ inspection paths	Km	<u>2147</u>	1000
47	Survey & Demarcation	Ha	<u>10983</u>	35
48	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	Nos	<u>54</u>	500
49	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav etc.) – [Various activities across the state]	-	-	100
50	Modern seed storage facility for important nurseries	Nos.	<u>13</u>	84
51	Development of nursery techniques	Nos.	<u>7</u>	6
52	Capacity Building [Need based trainings]	IA's	<u>3727</u>	117
53	Maintenance and Development of Bamboo Nursery	Nos.	<u>88750</u>	6
54	Creation and maintenance of herbal garden, Development of Medicinal Plants	Nos.	<u>10</u>	24
55	Automation and Strengthening of Department by implementation of Information and Communication Technology	IA's	<u>15</u>	46
56	Public Awareness & Publicity Extension	Nos.	17 IA's	200
57	Provisioning of Biodiversity Conservation	Nos.	<u>1</u>	1
58	Revision of working plans and wildlife management plans	Nos.	<u>10 IA's</u>	250
59	Strengthening of clusters of Bamboo, Ringal, Natural Fiber and grasses	Nos.	<u>6</u>	20

60	Strengthening of training institute	Nos.	4	50
61	Support to Project Management Unit (PMU)	Nos.	1	2
	Sub-Total			2834.12
	Operational Expenses			
62	Operational / Admin Expenses			200
	Sub-Total			200
				3034.12
	Total Non core activities in NPV (20%)			20%
	Total in NET PRESENT VALUE			14670.12
	Grand Total			21130.00

कार्यसूची संचालन समिति 13.4 एडहॉक कैम्पा भारत सरकार के पत्रांक No 15-2 (0)/2018-CAMPA दिनांक 10 अप्रैल, 2018 अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अवशेष/अपूर्ण लक्ष्यों को वर्ष 2018-19 में सम्मिलित किया जाना

13.4.1 समिति को अवगत कराया गया कि एडहॉक कैम्पा भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक No 15-2 (0)/2018-CAMPA दिनांक 10 अप्रैल, 2018 से वर्ष 2017-18 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के स्वीकृत कार्यमदों के सापेक्ष अवशेष/अपूर्ण रह गये एवं वचनबद्ध कार्यों को वर्ष 2018-19 में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से उन्हें इस वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में वर्ष 2017-18 की स्वीकृत ₹ 107 करोड़ की धनराशि को वर्ष 2018-19 में उन्हीं कार्यों के सम्पादन हेतु पुनर्वैध किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु इन्हें गतवर्ष (2017-18) में स्वीकृत किया गया था। समिति द्वारा वर्ष 2017-18 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत ₹107.00 लाख की अपूर्ण/अवशेष गतिविधियों (संलग्नक) को वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त अवशेष ₹ 107.00 लाख की धनराशि का घटकवार विवरण निम्नानुसार है-

क्षतिपूरक वीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग (लाख ₹ में)
718.20	1848.59	6819.46	1313.75	10700.00

13.4.2 समिति द्वारा वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना का उपरोक्तानुसार कुल आकार ₹ 31830.00 लाख (₹21130.00 लाख वर्ष 2018-19 के प्रस्तावों हेतु एवं ₹10700.00 लाख वर्ष 2017-18 की स्वीकृत अवशेष धनराशि को वर्ष 2018-19 में उन्हीं कार्यों के सम्पादन हेतु पुनर्वैध करने का) अनुमोदन प्रदान किया गया। वार्षिक कार्ययोजना को वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

13.4.3 समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि उपरोक्त कार्ययोजना को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाय व इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

Amia

उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उनसे निरन्तर सम्पर्क व समन्वय भी बनाया जाय।

कार्यसूची संचालन समिति 13.5: एडहॉक कैम्पा भारत सरकार पत्र संख्या No 15-2 (0)/2018-CAMPA दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के बिन्दु संख्या 5 में वाछित 12 बिन्दुओं की सूचना वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करने के संबंध में

समिति द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त पत्र की बिन्दु संख्या-5 अनुसार चाही गई 12 बिन्दुओं की सूचना का संज्ञान लेते हुए एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना 2018-19 के साथ प्रेषित किए जाने हेतु उक्त सूचना का संज्ञान लेते हुए निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया :-

An update on the 12 Point Checklist to be incorporated with the agenda and minutes as per point no. 5 of the Gol letter No 15-2 (0)/2018-CAMPA dated 10 April, 2018.

<p>1. Breakup of the outlay in the Annual Plan of Operation for 2018-19 in the given format</p>	<p>Annual Plan for Operation given in the agenda item 13.5.1 has been prepared in the suggested format.</p>														
<p>2. Whether the provision for Compensatory Afforestation in line with the 5 Year action plan Further:</p> <p>(a) Please add, as Annexure a copy of the 5 year action plan together with date of its approval by the State level Steering Committee;</p> <p>(b) Please indicate whether, beginning from the year 2014-15, there has been any departure from the provisions in the 5 year action plan- either in physical or financial terms and if so, please indicate the year, and extent of departure ;</p> <p>(c) Please indicate, year – wise the CA undertaken during the year 2012-13</p>	<p>Yes, the 5-year action plan has been adhered to the utmost care. The plantations are being carried out as per the action plan.</p> <p>(a) The 5 year action plan for clearing the backlog of CA was approved by the Steering Committee in its 11th meeting dated 26 August, 2016 in the following manner.</p> <table border="1" data-bbox="762 1196 1444 1541"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Targets of Compensatory Afforestation (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-16</td> <td>2253.47</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>3029.00</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>3029.00</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>3029.00</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>3029.07</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>14369.54</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) The above 5 year action has been implemented from 2015-16 onwards. The details of allotted targets against the action plan and subsequent achievement, so far is provided in point no. 'C' below.</p> <p>(c) The information in prescribed format has been</p>	Year	Targets of Compensatory Afforestation (Ha)	2015-16	2253.47	2016-17	3029.00	2017-18	3029.00	2018-19	3029.00	2019-20	3029.07	Total	14369.54
Year	Targets of Compensatory Afforestation (Ha)														
2015-16	2253.47														
2016-17	3029.00														
2017-18	3029.00														
2018-19	3029.00														
2019-20	3029.07														
Total	14369.54														

onwards, in the following table

sent to Ad-hoc CAMPA vide this office letter no. 237/2017-18 dated 17 July, 2017. A brief account of the same is as given under:

YEAR	Target of ASW as per 5 year Action Plan (ha)	Actual targets of ASW allotted during the Year (ha)	CA Plantation Targets and Achievement (in ha)	
			CA Plantation Target allotted in the year	CA Plantation Achievement
2011-12		4421.58	3972.52	3843.43
2012-13		3122.72	715.38	438.77
2013-14		3109.10	3080.84	2696.25
2014-15		841.14	2078	2077.91
2015-16	2253	3759.14	1432.9	1245.24
2016-17	3029	3651.61	3032	2886.44
2017-18	3029	3514.02	3226.51	3216.00
TOTAL			17661.16	16404.04
2018-19 (Proposed)	3029	3682.92	3500	Proposed

3. (a) Whether the benchmark of 70% expenditure has achieved

(a) Yes, the benchmark of the 70% expenditure has been achieved. Against the total receipts of 85338.90 lakhs from Ad-hoc CAMPA, an expenditure of Rs. 67653.7 lakh has been incurred upto 31st March, 2018. This is 79% against the total receipts so far from Ad-hoc CAMPA.

(b) Please indicate the unspent balance as on 31.03.2017, and its proportion to the size of the Annual Plan of Operation

(b) The balance with Uttarakhand CAMPA as on 31 March, 2017 is Rs. 16703.60 Lakh.

4. Dates on which Quarterly progress Reports have been sent to the Ad-hoc CAMPA in the year 2016-17. In case of delays, Please mention reasons

1. Quarter-1 (Apr-Jun) 2017 – 20.07.2017
2. Quarter-2 (July-Sept) 2017 – 07.11.2017
3. Quarter-3 (Oct-Dec) 2017 – 02.02.2018
4. Progress as on 05 March, 2018 – 05.03.2018

Due consistency has been maintained in submission of Quarterly Progress Reports in a timely manner. For the 4th quarter, as indicated above, a progress report has been sent based on expenditure details available as on 05 March, 2018. The final Quarterly report shall be sent after all accounts from the field are fully submitted.

5. Whether project wise and component wise details of all remittances made to the State accounts maintained by the Ad-

Yes the project wise and component wise details of all remittances made to the State accounts maintained by Ad-hoc CAMPA have been furnished and reconciled with Ad-hoc CAMPA vide the letter no. 3182/18-4-1-2

<p>hoc CAMPA have been furnished, and reconciled with the Ad-hoc CAMPA. If not, the reasons thereof, together with the details of</p> <p>(a) funds claimed to be remitted by the state but not reflected in the Ad-hoc CAMPA accounts; and</p> <p>(b) funds appearing in the State CAMPA account but not identified by the State.</p>	<p>dated 21.03.2017 of the Nodal Officer, Uttarakhand.</p> <p>The matter of unclaimed and unidentified remittances has also been intimated in the above referred letter at point no. 3 where UTR nos. of all such cases are requested to be obtained from the concerned bank at the level of Ad-hoc CAMPA.</p>
<p>6. Whether accounts of the State CAMPA have been prepared in the double entry format, whether their internal audit has been undertaken through a Chartered Accountant empanelled with the state AG, and whether the Auditors' report has been forwarded to the State AG. The year up to which the process has been undertaken, completed may be stated, with the reasons for the backlog, if any. in cases of observations of External Auditors/AG in their Audit Report, Please also attach the para wise response of the State Government in respect of these observations.</p>	<p>Uttarakhand CAMPA accounts are maintained in Double Entry System. The Internal Audit by CAG empanelled Chartered Accountant has been completed till FY 2013-14. Audit Cell of Uttarakhand Forest Department is executing the Internal Audit work of 2014-15 and 2015-16. The Balance Sheet as on 31.03.2017 of Uttarakhand CAMPA has been audited by CAG empanelled Chartered Accountant and had been approved by the Steering Committee in its 12th meeting.</p>
<p>7. Performance on relation to E-Green Watch, with detailed reasons for the inaccurate and unascertainable polygons. Please also state whether,</p> <p>(a) Scrutiny at the State hqrs level is undertaken before the polygons are loaded on the E-Green Watch portal and</p>	<p>Anomalies related to entries in the E-Green Watch portal from the State of Uttarakhand, have been studied in relation to the report of the Forest Survey of India (FSI). It has been observed that the unascertainable polygons entries are mostly related to assets category, that cannot be monitored using satellite. This has been done due to the lack of awareness at the part of IA's. Uttarakhand CAMPA has initiated to fill this gap by organizing hands-on training on correction and uploading new entries for the concerned forest staff.</p> <p>a) Divisions with the reported anomalies have been repeatedly reminded for taking up due corrections at their level. The same has also been instructed to the trainees attending the trainings at CAMPA HQ level. So far, different</p>

<p>(b) the response time for the queries raised by the Forest Survey of India in respect of incorrect and unascertainable polygons.</p> <p>(c) Whether replies have been sent to Ad-hoc CAMPA letters dated 30th May 2016; 16th September 2016 and 20th February 2017.</p>	<p>forest divisions have been covered under the training programmes with 69 No. of participants.</p> <p>b) The queries raised by FSI over incorrect and unascertainable polygons is immediately addressed to the concerned forest divisions for due corrections. So far, since the training on E-green watch has begun, a total of 366 polygons have been uploaded / corrected. The correction of polygons is on for the remaining incorrect polygons which is likely to be completed in next three months.</p> <p>c) In response to the cited letters of the Ad-hoc CAMPA, letters have been issued to all the concerned forest divisions for taking up due action for corrections of the incorrect polygons. Steps are also being taken up at State CAMPA level for regular monitoring of entries being made on the portal and the process of correction of polygons at field level. An updated account of the progress in this connection shall be intimated to the Ad-hoc CAMPA after replies to the above correspondence is received at State CAMPA authority</p>
<p>(8) Status of Third party monitoring of CAMPA projects. In case 3rd party monitoring reports have become available, whether copies have been provided to the Ad-hoc CAMPA Whether state Govt's Comments on the observations have been sent to Ad-hoc CAMPA. In case 3rd Party monitoring has not been completed, the reasons there for.</p>	<p>As per the decision of the Steering Committee in its 11th Meeting dated 26 August, 2016, the third party monitoring work of Uttarakhand CAMPA has been given to Forest Research Institute (FRI), Dehradun. The monitoring team of the Forest Research Institute is currently carrying out the monitoring and evaluation work of CAMPA works from the activities of 2017-18 onwards. A report on the first phase of monitoring is awaited.</p>
<p>(9) Whether the revised replies to the C&AG Report have been finally accepted in case of queries whether these have been answered.</p>	<p>Reply to the revised replies (on vetted comments) related to the State of Uttarakhand in C&AG Report has been submitted vide letter no. 458/4-1/CAMPA/2017-18 dated 31 October, 2017.</p>
<p>(10) Whether the composition of the Steering committee is in terms of the prescriptions laid down in the State CAMPA Guidelines, and whether the</p>	<p>Yes, the present composition of the Steering Committee is in line with the prescriptions laid down in the State CAMPA guidelines. Apart from the Govt. members, two NGOs (M/s Himalayan Action Research</p>



<p>departures are well accented for. Please state whether the NGO members are present in the meeting of the Steering Committee.</p>	<p>Center, Dehradun and Lok Chetna Manch, Haldwani) are nominated members of the Steering Committee. Invitation has been sent to all the members of the committee, including the NGO members, for participation in the 13th Meeting.</p>
<p>11. Whether the data sought in relation to all diversion cases since the year 1980 have been furnished;</p>	<p>Data related to all diversion cases since 1980 has been furnished to Gol vide letter no. 298/1-G-2366 dated 26-07-2017 from the Nodal Officer, Uttarakhand.</p>
<p>12. The total no of credits to the State CAMPA account since 15.10.2015, and the number which have been undertaken otherwise than through the e.portal. Steps taken to ensure that all credits are made only through the E.portal.</p>	<p>The credits into the Uttarakhand State account maintained by Ad-hoc CAMPA are being made only through the medium of E-portal since June, 2016.</p>

कार्यसूची संचालन समिति 13.6: उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय प्रबन्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिक बजट

समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय प्रबन्धन हेतु प्रचलित नियमानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वेतन, कार्यालय व्यय इत्यादि मदों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 132.91 लाख की धनराशि का व्यय हुआ है।

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के प्रबन्धन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से वेतन, कार्यालय व्यय, इत्यादि मदों में कार्यकारी समिति की संस्तुति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 200.00 लाख का बजट संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 13.7 ई-ग्रीन वॉच की स्थिति।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत संपन्न किए गए कार्यों की प्रविष्टि ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर नियमित रूप से किया जाना अनिवार्य है। ई-ग्रीन वॉच के माध्यम से विभिन्न वृक्षारोपण व अन्य कार्यों की समीक्षा की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति को ई-ग्रीन वॉच की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया जिसके अनुसार लगभग 2220 प्रविष्टियों में त्रुटि पाई गई है। इसे दूर करने के लिए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के स्तर पर गठित ई-ग्रीन वॉच सैल के माध्यम से वन प्रभागों के संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य गतिमान है। उक्त प्रशिक्षणों में प्रतिभागी कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण पॉलीगन को ठीक किए जाने एवं अवशेष कार्यों / बैकलॉक प्रविष्टियों को शीघ्रता से पूर्ण किए जाने के साथ ही भविष्य में गुणवत्ता युक्त प्रविष्टियों हेतु भी विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। दिनांक 16 जनवरी 2018 से आरम्भ किए गए प्रशिक्षण के उपरांत दिनांक 31.03.2018 तक विभिन्न वन प्रभागों को दिए गए प्रशिक्षण में 366 पॉलीगन पर कार्यवाही कर उन्हें ठीक किया गया, जिनका परीक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया जाना शेष है।

कैम्पा के अंतर्गत गठित ई-ग्रीन वॉच सैल द्वारा शेष 1854 त्रुटिपूर्ण पॉलीगन को ठीक किए जाने हेतु

आगामी 6 माह के अन्तर्गत विभिन्न प्रभागों के माध्यम से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। सदस्यगण तदनुसार अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 13.8 उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन:

समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 13.9 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु -

13.9.1 मुख्य सचिव/अध्यक्ष-संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाने की अपेक्षा की। इस निधि के अंतर्गत अधिकांश कार्य हेतु वन विभाग के विभिन्न अभिकरण कार्यदायी संस्था हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि वन विभाग अपनी स्थापित तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

13.9.2 मुख्य सचिव/अध्यक्ष-संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किए जा रहे कार्यों को अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन एवं नये क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत सम्पादित कराया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि निर्धारित मानकों/प्राविधानों के विपरीत कोई भी कार्य किसी भी दशा में न कराया जाय। ऐसी किसी भी स्थिति उत्पन्न होने पर इसे गम्भीरता से लेते हुए यथोचित कार्यवाही की जाए। इस निधि से सम्पादित कराए गये कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नियमित रूप से विभागीय एवं तृतीय पक्ष के माध्यम से प्रभावी रूप से किया जाय तथा इसका विवरण भी समय-समय पर संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

13.9.3 अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि अवमुक्त करते समय उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि इस निधि के अंतर्गत बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न कराया जाय तथा अवमुक्त धनराशि केवल उसी मद में व्यय की जाए जिस हेतु उसे अवमुक्त किया गया है। समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों को धनराशि के उपयोग की भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य रूप से एम0आई0एस0 तथा लेखा के माध्यम से अनिवार्य रूप से अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जाय, ताकि व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

13.9.4 मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय ने अपेक्षा की कि इस निधि के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के सदुपयोग से उत्तराखण्ड राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के जन साधारण के सहयोग से संरक्षण एवं सहयोग को बल मिलेगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(समीर सिन्हा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(सत्यपाल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष-संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा